प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 17 जनवरी, 2022

विषयः-शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-3/2022/25 दिनांक 04.01.2022 एवं पत्र संख्या-एम0ई0-3/2022/86 दिनांक 13.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू0जी0-2021 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र-2021-22 में प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के समस्त मेडिकल कालेजों स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/ संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. <u>तकनीकी संस्था का नामांकनः-</u>

शैक्षणिक सत्र 2021-22 में राजकीय क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के समस्त मेडिकल/डेण्टल कालेजो में प्रवेश हेतु नीट यू0 जी0-2021 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग/प्रवेश हेतु छात्रो का आनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर फोटो अपलोड शुल्क भुगतान एवं छात्रो की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने आदि की कार्यवाही हेतु NATIONAL INFORMATION CENTER (NIC) को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। तकनीकी संस्था द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की देख-रेख में नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गई मेरिट सूची के आधार पर श्रेणीवार (अनारक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग तथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी) राज्य मेरिट सूची तैयार की जायेगी। उक्त के साथ साथ डा0 वाणी गुप्ता, प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई को नीट यू0 जी0-2021 हेतु परामर्शदाता व डा0 अनुप कुमार वर्मा, विभागाध्यक्ष, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग, के0 जी0 एम0 यू0, लखनऊ को अतिरिक्त परामर्शदाता के रूप में भी नामित किया जाता है।

2. <u>विवरण पुस्तिका (ब्रोशर)</u>

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एक समिति गठित कर अपनी देख-रेख में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों/नीति के अनुपालन में नीट यू0 जी0-2021 हेतु एक विवरण पुस्तिका तैयार की जायेगी, जिसमें समस्त निर्धारित प्रारूप को संलग्नक के रूप में प्रदर्शित किया जायेगा। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा द्वारा

यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ब्रोशर में प्रकाशित समस्त सूचनाये/तथ्य एवं निर्धारित प्रारूप शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/निर्देशों के अनुसार हों।

3.अर्हतायें(Eligibility)

(1) राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों संस्थानो/अल्पसंख्यक संस्थानो में प्रवेश हेतु अर्हतायें (Eligibility):-

- ऐसे छात्र जिन्होंने नीट यू0 जी0 2021 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो, नीट उत्तीर्ण किया हो तथा निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एनआईसी की वेबसाइट https://upneet.gov.in पर पंजीकरण कराया हो, ही काउंसिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिंट आउट अनुमन्य होगा।
- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजो/विश्वविद्यालयो/संस्थान/डेण्टल कालेजो में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हों, उनके लिए डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा। शेष अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय निर्धारित किये गये प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र'' प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना या हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

नोट-

नीट यू0 पी0 यू0 जी0-2021 में डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-157/तीन-2003-77(11)/83, दिनांक 18.02.2003 में जो प्रारूप निर्धारित किया गया है, उसी पर डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्रोशर में इस हेतु अलग से कोई प्रारूप टंकित नहीं किया जाएगा। महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा डेमीसाइल/सामान्य निवास संबंधी शासनादेश दिनांक 18.02.2003 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने संबंधी व्यवस्था को नीट-2021 व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड कराया जाएगा तथा इस संबंध में व्यापक प्रसार वाले राष्ट्रीय व स्थानीय हिन्दी तथा अंग्रेजी समाचार-पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित कराया जाएगा।

(2) शैक्षिक अर्हताएं (NEET UG- 2021 हेतु एन0टी0ए0 द्वारा जारी ब्रोशर के अनुसार)

CHAPTER 4 - ELIGIBILITY AND QUALIFICATIONS FOR MBBS AND BDS COURSE

4.1 Eligibility to appear in NEET (UG) – 2021

Eligibility for appearing in **NEET (UG),** as per related Regulations of NMC and DCI are as follows:-

4.1.1. He/she has completed 17 years of age at the time of admission or will complete that age on or before 31 December of the year of his/her admission to the first year **Undergraduate Medical Course.**

Accordingly, the lower age limit shall as under:

For Candidates of General (UR)/General-EWS	born on or before31.12.2004
For Candidates of SC/ST/OBC-NCL/PwBD Category	

4.1.2. The upper age limit for **NEET (UG)** is 25 years as on the date of examination with a relaxation of 5 years for the candidates belonging to the SC/ST/OBC-NCL category and PwBD Candidates.

> ***NOTE:*** The upper age limit of 25 years as prescribed under the Regulations on Graduate Medical Education, 1997 vide amendment dated 22.01.2018, was challenged before theHon'ble High Court of Delhi and the said upper age limit had been upheld vide judgement dated 11.05.2018 in W.P. No.1813/2018 & other connected matters. The said judgement dated 11.05.2018 was challenged before the Hon'ble Supreme Court of India in SLP (C) No. 14320/2018 & other connected matters when vide interim order dated29.11.2018, candidates who are 25 years and above were provisionally permitted to appear in NEET-UG-2019 subject to the final outcome of the said matters. The Suprem Cour t thereafter, vide order dated 29.04.2019 had permitted the candidates to appear provisionally in the Counselling subject to the adjudication of the matters. The aforesaid matters are pending adjudication before the Hon 'ble Supreme Court of India and the authorities shall abide by any order that may be passed for NEET-UG-2021.
>
> ***Thus, the candidates above 25 years are provisionally permitted to appear and their candidature is subjected to the outcome of pending Petitions before the Hon'ble Supreme Court.***

4.1.3. Indian Citizens/ Overseas Citizens of India (OCI) intending to pursue Undergraduate Medical Courses in a foreign Medical/ Dental Institute also need to qualify **NEET (UG).**

4.2 Criteria for NRI / OCI / Foreign Nationals

4.2.1. Non-Resident Indians (NRIs), Overseas Citizen of India (OCI), and Foreign Nationals are eligible for admission in Medical /Dental Colleges subject to rules and regulations framed by the respective State Governments, Institutions and Government of India, as the case may be. The NRI and OCI Applicants / Candidates have to upload a Certificate from the concerned Indian Diplomatic Mission in the country of their residence in support of their claim as an NRI / OCI Candidate, along with their online application form for NEET (UG) 2021 and retain the original of such document for producing it at the time of Counselling / Admission to the Courses covered under NEET(UG). Similarly, a foreign applicant for NEET (UG) 2021 shall also upload Documentary Proof (e.g. relevant pages of a valid passport or a Certificate from CompetentAuthority in the country of his/her nationality regarding his/her citizenship status) in support of his/ her Nationality, along with online application form. The Embassy Certificate and Citizenship Certificate or any Documentary proof of Citizenship are given in Annexure- XIV A and XIV B.

4.2.2. Foreign nationals may confirm their eligibility from the concerned Medical/Dental/College/State.

4.2.3. Eligibility of OCI cardholders for NEET (UG):

The Ministry of Home Affairs vide Notification dated 4th March 2021 specified the rights to which an OCI cardholder shall be entitled under the Citizenship Act, 1955.

Clause (4) (ii) of the said Notification reads as under:

"(4) parity with Non-Resident Indians in the matter of,-

(ii) appearing for the all India entrance tests such as National Eligibility cum Entrance Test, Joint Entrance Examination (Mains), Joint Entrance Examination (Advanced) or such other tests to make them eligible for admission only against any Non-Resident Indian seat or any supernumerary seat: Provided that the OCI cardholder shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens."

The above Notification provides the following Explanation:

"The OCI Cardholder (including a PIO card holder) is a foreign national holding passport of a foreign country and is not a citizen of India."

Similarly, the PIO cardholder and foreign nationals shall not be eligible for admission against any seat reserved exclusively for Indian citizens.

4.3 Participation of UT of J&K Ladakh in All India Quota

i. Students from UT of J&K and Ladakh were not eligible for 15% All India Quota seats as erstwhile J&K opted out of the All India Scheme since its inception. So far as the UT of J&K is concerned, the matter for inclusion of the UT in the All India Quota is under deliberation and any decision in this regard shall be placed on the website of NTA in due course. Hence, the candidates from J&K qualifying NEET (UG) 2021 shall not be entitled to participate in the counselling conducted by MCC/DGHS for admission to the MBBS / BDS seats under the All India 15% quota. However, depending upon their marks/ score, they would be able to participate in the counselling conducted by the J&K Board of Professional Entrance Examinations (JKBPEE) for admission to MBBS/ BDS Courses in the Medical Colleges in J&K. For details, the website of JKBPEE (www.jkbopee.gov.in) and Directorate of Medical Education, J&K Administration, may be visited by the candidates from J&K from time to time for latest updates. The Candidates from the UT of J&K, if they claim eligibility, must submit an online Self Declaration which will be generated and printed automatically along with **Confirmation Page** for the record and they need to present the same during counselling. The Self-Declaration Form is given in **Appendix-III.** If the declaration is found to be false at any time, the candidature/admission of such candidates shall be cancelled and criminal proceedings may be initiated against such candidates. Candidates from the UT of J&K can appear in NEET (UG) 2021 for admission to Private Medical/Dental/ Colleges or any Private/Deemed University and AFMC, AIIMS, JIPMER subject to the fulfillment of respective eligibility conditions.

ii. However, from the academic year 2021-22, the students of UT of Ladakh shall be eligible for admission to 15% of All India Quota seats.

4.4 Qualifications and Qualifying Examination Codes

To be eligible for NEET (UG) – 2021, candidates need to refer to the following table for qualifying examination criteria.

CODE: 01	A candidate who is appearing in the qualifying examination, i.e., 12 Standard in 2021,whose result is awaited, may apply and appear in the test but he/she shall not be eligible for admission to the **Undergraduate Medical Courses** if he/she does not pass the qualifying examination with the required pass percentage at the time of first round of Counselling. Candidates who have appeared or are appearing at the qualifying Examination with English, Physics, Chemistry and Biology as the main subject and expect to pass the Examination with the required percentage of marks are also eligible to apply and appear in the Competitive Entrance Examination. However, their candidature will be considered only if they provide documentary evidence of having passed the qualifying Examination with the required subjects and percentage of marks.

OR

CODE: 02	The Higher/Senior Secondary Examination or the Indian School Certificate Examination which is equivalent to 10+2 Higher/Senior Secondary Examination after a period of 12years study, the last two years of such study comprising of Physics, Chemistry,Biology/Bio-technology (which shall include practical tests in these subjects) and Mathematics or any other elective subject with English at a level not less than the core course for English as prescribed by the National Council of Educational Research and -+* Training after the introduction of the 10+2+3 educational structure as recommended by the National Committee on Education. *Candidates who have passed 10+2 from Open School or as private candidates shall not be eligible to appear for the 'National Eligibility Cum Entrance Test'. Furthermore, a study of Biology/Biotechnology as an Additional Subject at 10+2 level also shall not be permissible.** **The candidates who have passed 10+2 level with Biology as an additional subject will also be eligible for MBBS Entrance Examination (as per Hon'ble High Court Order No.2341/-W/DHC/WRIT/D-1/2019 dated 24/09/2019 in the Writ Petition (C) No.6773/2019.* If the institute has to consider an examination of an Indian University or of a foreign/university to be equivalent to the 12 Class under 10+2 scheme/intermediate science examination, the candidates shall have to produce a certificate from the concerned Indian University/Association of Indian Universities to the effect that the examination passed by him/her is considered to be equivalent to the 12 class under 10+2scheme/intermediate science examination. **(**NOTE:** The proviso in italics has been a subject matter of challenge before the Hon'ble High Court of Delhi, Hon'ble High Court of Allahabad, Lucknow Bench and Hon'ble HighCourt of Madhya Pradesh at Jabalpur. The provisions of the regulations disqualifying recognised Open School Board candidates and the candidates who have studied Biology/Biotechnology as an Additional Subject has been struck down. The MedicalCouncil of India has preferred Special Leave Petitions before the Hon'ble Supreme Court and Appeals in the Hon'ble High Courts. Therefore, the candidature of candidates in the NEET (UG)-2021 who have passed the qualifying examinations i.e. 10+2 from National Institute of Open Schooling or State Open Schools or as private candidates from recognised State Boards; or with Biology/Biotechnology as an additional subject* ***shall be allowed but subject to the outcome of Special Leave Petitions/Appeals filed by theMedical Council of India)***

OR

CODE: 03	The Intermediate/Pre-degree Examination in Science of an Indian University/Board or other recognised examining body with Physics, Chemistry, Biology /Biotechnology(which shall include practical test in these subjects) and also English as a compulsory subject.

OR

CODE: 04	The Pre-professional/Pre-medical Examination with Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English after passing either the Higher Secondary Examination or the Pre-University or an equivalent examination. The Preprofessional/Pre-medical examination shall include practical tests in these subjects andalso English as a compulsory subject.

OR

CODE:	The first year of the three years' degree course of a recognised University with

05	Physics,Chemistry and Biology/Biotechnology including practical tests in these subjects provided the examination is a University Examination and candidate has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology/ Biotechnology with English at a level not less than a core course.

OR

CODE: 06	B.Sc. Examination of an Indian University provided that he/she has passed the B.Sc.Examination with not less than two of the subjects Physics, Chemistry, Biology (Botany,Zoology)/Biotechnology and further that he/ she has passed the earlier qualifying examination with Physics, Chemistry, Biology and English.

OR

CODE: 07	Any other examination which in scope and standard (Last 02 years of 10+2 Study comprising of Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology; which shall include practical test in these subjects) is found to be equivalent to the Intermediate Science Examination of an Indian University/Board, taking Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology including practical tests in each of these subjects and English.

- Provided also that to be eligible for **NEET (UG) - 2021,** the candidate must have passed in Physics, Chemistry, Biology/Biotechnology and English individually and must have obtained a minimum of 50% marks taken together in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology at the qualifying examination as mentioned in the Regulations of NMC and DCI. *In addition, they* must have got a rank in the merit list of **NEET (UG) - 2021** foradmission to **Undergraduate Medical Courses.**
- In respect of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes (NCL), the minimum marks obtained in Physics, Chemistry and Biology/Biotechnology taken together in qualifying examination shall be 40% marksinstead of 50% marks for Unreserved and General-EWS Candidates. In respect of PwBD candidates as per NMC and DCI Regulations, the minimum marks in the qualifying examination in Physics, Chemistry and Biology (or Botany & Zoology) /Biotechnology takentogether shall be 40% instead of 50%.
- Provided further that the students who have received education abroad and wish to seekadmission into medical colleges in India must have passed in Physics, Chemistry,Biology/ Biotechnology and English with 50% marks in class 12 and their equivalencydetermined by the Association of Indian Universities **(AIU)** as per regulations of theMedical Council of India and the concerned University.
- The criteria for minimum qualifying marks to be eligible for admission to MBBS coursesshall also be applicable to concerned INIs like AIIMS and JIPMER.

Note: In all other cases, the States/Institutes that have cut-offs for eligibility other thanthose mentioned above, may follow their own criteria.

Note:

- *The Pre-medical course may be conducted either at a Medical College or at a Science College.*
- *Marks obtained in Mathematics are not to be considered for eligibility for admission toUndergraduate Medical Courses.*
- *The candidates who have studied from the Foreign/International Board should ensure that thequalifying examination passed by them are, in scope and standard, as explained in CODE: 07.*
- *Any interpretation regarding the requirement of Biology / Biological Sciences as one of the subjects of the Qualifying Examination for NEET (UG) will be subjected to Regulation No. 4 (1) of the Graduate Medical Education Regulations (1997) as amended upto 2018 and the Judgement dated 16th February 2021 of Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 390 of 2021 in the matter of "Kaloji Narayana Rao University of Health Sciences Vs. Srikeerti*

Reddi Pingle & Ors." (Para 20 & 21).

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में यदि एन0एम0सी0 द्वारा अर्हता में परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

4. <u>अभिलेखों का सत्यापन</u>

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थी द्वारा कराया जायेगाः-

1. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत डोमीसाइल/सामान्य निवास प्रमाण-पत्र।
3. सामान्य प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेगा उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा)। **आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र (दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0 सर्टिफिकेट को छोडकर) उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त प्रारूप पर ही मान्य होगें। अन्य प्रदेशों से जारी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।**

- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (मेडिकल सर्टिफिकेट) भारत सरकार द्वारा निर्धारित केन्द्रों व जारी प्रारूप पर ही मान्य होगा।
- एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र (सी सर्टिफिकेट बी ग्रेडिंग के साथ) नेशनल कैडेट कोर (National Cadet Corps) हेतु निधारित प्रारूप पर जारी किया गया मान्य होगा।
- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (Freedom Fighter) के आश्रितों के लिये प्रमाण पत्र उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी प्रारूप पर ही मान्य होगा।
- भूतपूर्व सैनिक (युद्व में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र-पुत्री के लिये प्रमाण पत्र उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी प्रारूप पर ही मान्य होगा।

4. उपर्युक्त बिन्दु-1, 2 व 3 में उल्लिखित अभिलेखों का सत्यापन कराये जाने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नांकित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान में स्वयं द्वारा चयनित नोडल सेण्टर पर मूल अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित होना होगा। उपस्थित होने हेतु तिथि एवं समय की सूचना पृथक से एन0आई0सी0 की वेबसाईट ***https://upneet.gov.in*** तथा विभाग की वेबसाईट ***www.updgme.in*** पर प्रदर्शित की जायेगी। इस हेतु कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

क्र0	मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/संस्थान (नोडल सेण्टर का नाम)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
2	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल सांइसेज, लखनऊ
3	जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर
4	एस0एन0 मेडिकल कालेज, आगरा

5	एल 0 एल 0 आर 0 एम 0 मेडिकल कालेज, मेरठ
6	एम 0 एल 0 बी0 मेडिकल कालेज, झॉसी
7	बी0 आर 0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर
8	एम 0 एल 0 एन 0 मेडिकल कालेज, प्रयागराज
9	उ 0 प्र 0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ
11	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर
12	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज
13	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन
14	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर
15	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा
16	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायू
17	स्वशासी राजकीय मेडिकल कालेज, अयोध्या
18	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा
19	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहॉपुर

नीट यू0 पी0 यू0 जी0-2021 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किये जाने वाले नोडल सेन्टर की सूचीः-

क्र 0	नोडल सेन्टर	निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज	निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज
1.	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ	1. कैरियर इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	1.कैरियर इंस्टी0 आफ डेन्टल साइंसेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ
		2. एराज लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ	
		3.टी0 एस 0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ	2.सरस्वती डेन्टल कालेज, एण्ड रिसर्च, लखनऊ
		4.इंटीग्रल इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, लखनऊ	
		5 प्रसाद इंस्टी0 आफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ	

2.	डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ	6. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी	3.सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ
		7.मेयो इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, बाराबंकी	4.बी0 बी0 डी0 कालेज आफ डेन्टल साइन्सेज, लखनऊ
		8. हिन्द इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, सीतापुर	5.चन्द्रा डेन्टल कालेज, बाराबंकी
3.	जी0 एस 0 वी0 एम 0 मेडिकल कालेज, कानपुर	9. रामा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, कानपुर	6.रामा डेन्टल कालेज, कानपुर
		10. सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव	7.महाराणा प्रताप डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल कानपुर
		11. नारायणा मेडिकल कालेज, कानपुर	
4.	एस 0 एन 0 मेडिकल कालेज, आगरा	12. के0 डी0 मेडिकल कालेज, मथुरा	8.के0 डी0 डेन्टल कालेज, मथुरा
		13. एफ 0 एच 0 मेडिकल कालेज, आगरा	
		14. कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज, मथुरा	
5.	एल 0 एल 0 आर 0 एम 0 मेडिकल कालेज मेरठ	15. सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ	9.सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ
		16.जी0 एस 0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, पिलखुआ, हापुड़	10.कालका डेन्टल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ
		17.सरस्वती इंस्टीटयूट आफ मेडिकल कालेज साइन्सेज, हापुड़	11. आई 0 डी0 एस 0 टी0 डेण्टल कालेज मोदीनगर गाजियाबाद
		18. नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीटच्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज (एम 0 एस 0 वाई) मेरठ	12.डी0 जी0 कालेज ऑफ डेण्टल साइन्स एण्ड रिसर्च, मोदीनगर, गाजियाबाद
		19.रामा मेडिकल कालेज हापुड़	13. श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद
6.	एम 0 एल 0 एन 0 मेडिकल कालेज	20.हेरिटेज इंस्टीटयूट आफ	-

	प्रयागराज	मेडिकल कालेज साइन्सेज, वाराणसी 21. यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ प्रयागराज	
7	बी0 आर 0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर	-	14.पूर्वांचल इंस्टीट्यूट डेन्टल साइन्स, गोरखपुर 15.डेन्टल कालेज, आजमगढ़
8.	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	22.मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	-
9.	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा	23.स्कूल आफ मेडिकल साइन्सेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा 24. नोयडा इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज	16.आई 0 टी0 एस 0 सेन्टर फार डेन्टल साइंस मुरादनगर गाजियाबाद 17.स्कूल आफ डेन्टल साइन्सेज (शारदा यूनिवर्सिटी), ग्रेटर नोएडा 18. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गाजियाबाद 19.आई 0 टी0 एस 0 कालेज हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ग्रेटर नोएडा
10.	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली	25. रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज, बरेली 26. वरूणअर्जुन मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर 27. राजश्री मेडिकल कालेज, बरेली 28. श्री राममूर्ति स्मारक इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बरेली	20.आई 0 डी0 एस 0 डेन्टल कालेज, बरेली
11	तीर्थांकर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद	29. तीर्थांकर महावीर मेडिकल कालेज, मुरादाबाद 30. श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइसेंज गजरौला, अमरोहा	21. तीर्थांकर महावीर डेण्टल कालेज, मुरादाबाद 22. कोठीवाल डेण्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, मुरादाबाद।

नोडल सेंटरों/मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों द्वारा उनके मेडिकल कालेज में स्थापित बैंकों को धरोहर धनराशि एवं शैक्षिक शुल्क की धनराशि का ड्राफ्ट बनाये जाने के सम्बन्ध में अवकाश के दिनों में भी सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु यथोचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

5. <u>पंजीकरण शुल्क</u>

नीट यू0 जी0-2021 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/- मात्र प्रति अभ्यर्थी दोनो चक्रो (प्रथम व द्वितीय) की कांउसिलिंग हेतु तथा मॉप-अप राउण्ड हेतु रू0 1,000/- प्रति अभ्यर्थी (मॉप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क आनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जाएगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम चक्र की काउंसिलिंग में पंजीकरण नहीं कराया जाता है तथा वह द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहता है तो उसे भी रू0 2000/- (दो हजार मात्र) का पंजीकरण शुल्क जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. धरोहर धनराशि (Security Money)

स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीट हेतु रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीट हेतु रू0 2,00,000/-(रू0 दो लाख मात्र) एवं निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजो की सीट हेतु रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में च्वाईस फिलिंग करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) वापस कर दी जायेगी। जिन अभ्यर्थियो द्वारा आवंटन के पश्चात प्रवेश नहीं लिया जाएगा उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जाएगी।

7. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में

रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल कांउसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी।

*यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम कांउसिलिंग से आवंटित होकर प्रदेश के किसी भी मेडिकल/डेण्टल की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात अभ्यर्थी आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की कांउसिलिंग के माध्यम से किसी सीट पर आवंटन प्राप्त करता है और वह प्रदेश की प्रथम कांउसिलिंग से प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है **(त्यागपत्र के समय किसी अन्य कांउसिलिंग से आंवटन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)** तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग की च्वाईस फिलिंग से दो दिन **(उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 10.02.2022 से प्रारम्भ होती है तो अभ्यर्थी 07.02.2022 को सायं 04:00 बजे तक)** पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि तथा सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क से निम्नानुसार कटौती करते हुए वापस किया जाएगाः-*

- राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों मे प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा समस्त शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस कर दी जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि तथा धरोहर धनराशि (Security Money) वापस देय होगी।

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेश ले लिया है तथा उन्हें आल इण्डिया या अन्य प्रदेश की काउन्सिलिंग से कोई सीट आवंटित नहीं होती हैं तथा प्रवेशित सीट से त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग की च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाईस फिलिंग 10.02.2022 से प्रारम्भ है तो अभ्यर्थी 07.02.2022 को सांय 04.00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि एवं शिक्षण शुल्क, दोनो से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस देय होगी।
- प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग समाप्त होने के पश्चात प्रथम व द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी मॉप-अप की काउन्सिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क दोनों से 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए शेष धनराशि वापस देय होगी।
- मॉप-अप राउण्ड के पश्चात या पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि अभ्यर्थी मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश वविद्यालयों/डेण्टल कालेजों में प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देता है तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शैक्षणिक शुल क (Tuition Fee) सम्बन्धित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/डेण्टल कालेज को देय होगी और सिक योरिटी धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यदि अभ्यर्थी को सिक्योरिटी धनराशि वापस की जा चुकी है तो वह भी उसे जमा करना होगा।

8. कांउसिलिंग बोर्ड-

रिट याचिका संख्या-418(एम/बी)1998 तूलिका राम बनाम राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.1998 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या- रिट पिटीशन (एस) (सिविल) सं0(एस)-267/2017 दार-उस-सलाम बनाम मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निम्नानुसार गठित काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी:-

कांउसिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण	प्रास्थिति
महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0	अध्यक्ष
प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा द्वारा नामित प्रतिनिधि।	श्री आर .के .सिंह अपर निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लखनऊ - सदस्य
शासन द्वारा नामित किसी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर।	**अनुसूचित जाति-** डा0 ज्ञानेन्द्र कुमार, आचार्य, निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र, आगरा-सदस्य। **अन्य पिछड़ा वर्ग-** डा0 दिलीप कुमार वर्मा, प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग, के0 जी0 एम 0 यू0, लखनऊ-सदस्य। **अनारक्षित श्रेणी-**

	डा0 संदीप भट्टाचार्य, आचार्य, फिजियोलॉजी विभाग, के0 जी0 एम 0 यू0, लखनऊ। **अल्पसंख्यक श्रेणी-** डा0 राहत हादी, आचार्य, रेडियोथिरेपी विभाग, डा0 आर 0 एम 0 एल 0 आई 0 एम 0 एस 0, लखनऊ ।
मुख्यालय से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अधिकारी।	सदस्य
निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल एसोसिएशन द्वारा नामित प्रतिनिधि	प्रत्येक एसोसिएशन द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि
अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा नामित प्रतिनिधि।	तीर्थांकर महावीर विश्वविद्यालय द्वारा नामित एक प्रतिनिधि। एराज, लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।
निदेशक/राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन 0 आई 0 सी0, योजना भवन, लखनऊ/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि।	सह सदस्य
परामर्शदाता।	डा0 वाणी गुप्ता, प्रधानाचार्या, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, हरदोई।
अतिरिक्त परामर्शदाता।	डा0 अनूप वर्मा, प्रोफेसर, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग, के0 जी0 एम 0 यू0, लखनऊ।

9. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आरक्षण

(क) प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगाः-

उध्र्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
4	आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

विशेष टिप्पणी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण अनुमन्य किये जाने संबंधी विधायी विभाग की अधिसूचना संख्या-1577/79-वी-1-20-1(क)-4-20 दिनांक 31 अगस्त 2020, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 प्रकाशित किया गया है तथा इस अधिसूचना को कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-6/2020/4/1/2002-का-2/19 टी0 सी0 दिनांक 08.09.2020 के माध्यम से प्रसारित किया गया है एवं कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-

2/19 टी0 सी0-।। दिनांक 18.02.2019 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार EWS का आरक्षण उन्हीं पुराने कालेजो/ संस्थानों/विश्वविद्यालयों में लागू होगा जिनमें एम 0 सी0 आई 0 द्वारा EWS क आरक्षण हेतु सीटों में वृद्धि की अनुमति प्रदान की गयी थी।

<u>क्षैतिज आरक्षण (हारिजेण्टल)</u>

नीट यू0 जी0-2021 मे विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा:-

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवानिवृत्त/शहीद) के पुत्र/पुत्री के लिए	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियो के लिए	20 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेड सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन 0 सी0 सी0 कैडेट	01 प्रतिशत

- *अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक **01.04.2021** या उसके बाद का निर्गत होना चाहिये।*

(ख) भारत का राजपत्र एम 0 सी0 आई 0 की संशोधित अधिसूचना दिनांक 23.01.2018 ''स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमावली (संशोधन) 2017'' के बिन्दु-6 **''दाखिला, चयन, अंतरण और प्रशिक्षण''** में उल्लिखित है कि शीर्षक के अंतर्गत अध्याय II में खण्ड 4 (3) में ''चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिला-पात्रता मापदंड'' को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- अभ्यर्थियों की अर्हता एन 0 टी0 ए 0 द्वारा जारी ब्रोशर नीट यू0 जी0-2021 के अनुसार होगी।
- एम 0 सी0 आई 0 के पत्र दिनांक 16.03.2018 के साथ प्राप्त THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT,2016 के अनुसार दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियो को वार्षिक स्वीकृत प्रवेश क्षमता की 5 प्रतिशत सीटें राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची के आधार पर, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के उपबन्धों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी। दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट वर्ग में आरक्षित सीटों के अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता होने पर, उन सीटों को सम्बन्धित श्रेणी में वार्षिक स्वीकृत सीटों में शामिल किया जायेगा।

(ग)उक्त के अतिरिक्त स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों क्रमशः राजकीय मेडिकल कालेज, **अम्बेडकरनगर, कन्नौज,** जालौन तथा **सहारनपुर** में ''वर्टिकल'' आरक्षण के अन्तर्गत शासन द्वारा सीटों का विभाजन निम्नवत् किया गया है:-

क्र	श्रेणी	राज्य सरकार द्वारा आवंटित सीटे	भारत सरकार द्वारा आवंटित सीटे	योग
1	अनुसूचित जाति	62	02	64
2	अनुसूचित जनजाति	05	01	06

3	अन्य पिछड़ा वर्ग	11	04	15
4	अनारक्षित	07	08	15
योग		85	15	100

- स्पेशल कंपोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित मेडिकल कालेजों में शासन द्वारा निधारित व्यवस्थानुसार आवंटन की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी।
- काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड को होगा।
- The conversion of seats will be carried out during the second round of seat allotment for SQ. The said conversion will be done only when the candidates belonging to the said conversion Category have exhausted. The algorithm for conversion of category is as follows:

CONVERSION ALGORITHM

S.No.	CONVERSION CATEGARY	CATEGARY CONVERTED TO
1	ST (PwD)	ST
2	SC (PwD)	SC
3	UR(PwD)	UR
4	OBC (PwD)	OBC
5	ST	SC
6	SC	UR
7	OBC	UR
8	EWS	UR

(घ) निजी क्षेत्र की मेडिकल/डेण्टल की सीटो पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके बायलॉज के अनुसार अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(ड़) स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमार कावंत बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर-प्रदेश में विस्थापित होकर आये अभ्यर्थियों को नीट यू0 जी0 2021 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नही होगा।

(च) **विमुक्त जातियों के सम्बन्ध में:-**

शासनादेश संख्या-22 सीएम/(1)/26-3-2013 दिनांक-10 जून, 2013 द्वारा **विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में** शासनादेश के बिन्दु संख्या-03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है:-

बिन्दु संख्या-03 जहॉ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियॉ अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत है, उन्हे तद्नुरूप उक्त वर्गो हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।

बिन्दु संख्या-04 यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नही है अपितु जैसा कि उपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियॉ, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हे उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

(छ) आरक्षित श्रेणी की सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगाः-

- काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी/उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।
- अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग/सेवा निवृत्त/शहीद के पुत्र/पुत्रियों) के लिए संगत श्रेणी के अभ्यर्थी होने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का-2- 2015, दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उ0प्र0 लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित में प्राविधिनित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री का पुत्री) द्वारा निधारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी द्वारा निर्गत आश्रित प्रमाण-पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(ज) रिट याचिका संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के संबंध में दिनांक-24.3.2017 को पारित आदेश /निर्णय में इंगित आब्जर्वेशन का अनुपालन के क्रम में क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रश्नगत मामले में मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका में पारित होने वाले निर्णय के अधीन अनुमन्य किया जायेगा।

(झ) उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0जी0 2021 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2021 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

(ञ) दिव्यांगजनों के आरक्षण के सम्बन्ध में भारत सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जॉच के संबंध में नोडल सेन्टर/मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था का उल्लेख ब्रोशर में स्पष्ट रूप से करते हुए मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड के बैठने की तिथि निश्चित करते हुए इसका उल्लेख ब्रोशर में किया जायेगा तथा ससमय वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(ट) आरक्षण व्यवस्था के संबंध में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में अन्य पिछडा वर्ग के अन्तर्गत आने वाली कतिपय जातियां भारत सरकार में अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित हैं। यह सम्भावना है कि नीट यू0 जी0-2021 के आवेदन के समय उ0प्र0 राज्य के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अपनी जाति अनारक्षित श्रेणी में दर्शा दी गई हो। अतः उत्तर प्रदेश राज्य की नीट यू0 जी0-2021 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

10. निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आरक्षण

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों/ संस्थाओं/डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

11. बॉण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-950/71-2-82-/2017 दिनांक 07.03.2018 में प्रदान निर्देशों के क्रम में यह अवगत कराया गया है कि राजकीय मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम0 बी0 बी0 एस0/बी0 डी0 एस0) पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से 02 वर्ष की अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराया जायेगा। बाण्ड की धनराशि रू0 10 लाख होगी। सेवा के स्थान के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी0 जी0 जे0 आर0 के रूप में तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा चिकित्सा अधिकारी के रूप में। उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 07.03.2018 विभाग की वेबसाईट www.dgmeup.in पर प्रदर्शित हो रहा है। सेवा बाण्ड से सम्बन्धित अन्य शर्तों के सम्बन्ध में शासनादेश का अवलोकन किया जायेगा।

12. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में

नीट यू0 जी0-2021 की आनलाईन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों से आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 2,00,000/-(रू0 दो लाख) तथा डेण्टल कालेजों से रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख) जमा कराया जायेगा, ताकि काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव हो सके।

निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क अपनी वेबसाईट पर प्रदर्शित करेंगे।

13. कांउसिलिंग प्रक्रिया

काउंसिलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न की जायेगी। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा, आवंटन के पश्चात प्रवेश न लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र की कांउसिलिंग के लिए अर्ह होंगे।

प्रथम चक्र से अनावंटित/प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की कांउसिलिग में प्रतिभाग कर सकेगे तथा इन्हे पुनः धरोहर धनराशि (Security Money) जमा करने की आवश्यकता नही होगी। अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में Reshuffle कर सकता है। द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से Reshuffle होने के उपरान्त पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जायेगी, Reshuffle न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश ली गयी सीट यथावत बनी रहेगी।

ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम चक्र में सीट आंवटित हो जाती है उन्हे यह निर्देशित किया जाता है कि वह द्वितीय चक्र में उस सीट का विकल्प न भरे। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि अभ्यर्थी को प्रथम चक्र की आवंटित सीट ही पुनः आवंटित हो जाती है, तो उक्त अभ्यर्थी को पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी अन्यथा उसका अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा और उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मॉप-अप राउण्ड से भर दिया जायेगा।

14. मॉपअप राउण्ड-

- माप-अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू0 जी0-2021 के अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/- पंजीकरण शुल्क आनलाइन प्रक्रिया से जमा करते हुये एन 0 आई 0 सी0 की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हे कोई आंवटन प्राप्त नही हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है परन्तु उन्हे सिक्योरिटी धनराशि जमा नही करनी होगी।
- माप-अप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें नीट यू0 पी0 यू0 जी0-2021 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- **यू0 पी0 नीट यू0 जी0-2021 की प्रथम या द्वितीय काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त प्रवेशित/ अप्रवेशित/त्याग पत्र देने वाले अभ्यर्थी माप-अप राउण्ड हेतु अर्ह नहीं होंगे।**
- आवंटन के पश्चात प्रवेश प्रक्रिया On Spot पूर्ण की जायेगी।
- मॉप-अप राउण्ड के आयोजन स्थल के नाम की सूचना *https://upneet.gov.in* &dgme.up.gov.in पर पृथक से प्रदर्शित की जायेगी।
- मॉप -अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य आवश्यक प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर कोई भी विचार नही किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/-, निजी क्षेत्र की मेडिकल की सीटों हेतु रू0 2,00,000/-तथा निजी क्षेत्र की डेण्टल की सीटों हेतु रू0 1,00,000/- की **सिक्योरिटी धनराशि** का ***बैंक ड्राफ्ट*** जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.)Payable at Lucknow के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) नहीं जमा की जायेगी।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित अभ्यर्थियो को प्रवेश के समय ही सम्बन्धित कालेज हेतु शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 ***(Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow*** के पक्ष में निर्मित हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि माप-अप राउण्ड के सम्पन्न होने के पश्चात निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय की सीटे रिक्त रह जाती है तो *ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकरण के समय ही विकल्प प्राप्त किया जायेगा* और उक्त की सूची सम्बन्धित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।
- नीट-2020 से पूर्व की कांउसिलिंग के माध्यम से बी0 डी0 एस 0 पाठ्यक्रमों में प्रवेशित है वह अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ ही माप-अप राउण्ड में प्रतिभाग कर सकेंगे। ***बी0 डी0 एस0 में प्रवेशित इच्छुक छात्रों द्वारा माप अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुए मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है।***
- इस आवंटन हेतु कोई पुनरावंटन (Reshuffeling)अनुमन्य नहीं होगा।

मापअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे-

1. नीट यू0 जी0 यू0 पी0-2021 की प्रथम/द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से एम 0 बी0 बी0 एस 0/ बी0 डी0 एस 0 आवंटन प्राप्त (प्रवेशित/आवंटन के पश्चात् प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थी (अप्रवेशित)/त्यागपत्र दे चुके अभ्यर्थी।
2. नीट यू0 जी0-2021 (15% All India Quota) के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी।

15. काउंसिलिंग हेतु समय सारणी-

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत किये जाने वाले समय-सारणी के दृष्टिगत समय-सारणी का निर्धारण किया जायेगा तथा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

16. नीट यू0 जी0/पी0 जी0-2021 की काउंसिलिंग कार्य यथा स्टेशनरी, कम्प्यूटर कार्टेज, एन 0 आई 0 सी0 एवं नोडल सेंटर को व्यय किये जाने वाले धनराशि का भुगतान, मानदेय आदि की प्रतिपूर्ति सी0 पी0 एम 0 टी0 फण्ड से किया जाएगा।

17. अन्य आवश्यक निर्देश

- धरोहर धनराशि की वापसी हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के समय ही उनका बैंक अकाउण्ट, आई 0 एफ 0 एस 0 सी0 कोड तथा बैंक का नाम पंजीकरण के समय प्राप्त किया जायेगा।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यू0 जी0 नीट प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित दिये गये आदेशों/ निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ 0 प्र 0 लखनऊ द्वारा एक विशेष अधिकारी नामित किया जाएगा तथा ब्रोशर में व बेबसाइट पर उसका नाम, पदनाम व मोबाईल नम्बर प्रदर्शित किया जाएगा। महानिदेशक द्वारा नामित विशेष अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अभ्यर्थियों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करें।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by आलोक कुमार
Date: 17-01-2022 16:57:34
(आलोक कुमार)
Reason: Approved
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, एन 0 एम 0 सी0/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, उ 0 प्र 0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ 0 प्र 0 लखनऊ।
4. निदेशक, एस 0 जी0 पी0 जी0 आई 0 ऍम यस, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. निदेशक, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा।

7. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
9. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
10. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
11. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
12. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव